न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 19/2019

2019/00045

प्रार्थीगण

1. केवाराम
2. मेदाराम
3. मनाराम पिसरान काना जातियान रेबारी निवासी कोडका तहसील रानीवाडा जिला जालोर

अप्रार्थीगण

1. विरमाराम पुत्र काना जाति रेबारी निवासी कोडका तहसील रानीवाडा
2. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्राथी अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. अप्रार्थी सं. 2 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक – 22.10.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 राजपेरोकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नोटिस लेने से इंकार किया गया अतः इन्हे तामिल माना जाकर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति प्रार्थीगण वकील को दी गई। राजपेरोकार व प्रार्थीगण वकील की बहस सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अतर्गत धारा 111,128 राज. भु–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया है जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है– सरहद मोजा कोडका तहसील रानीवाडा में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 280 रकबा 1.36 हैक्टेयर आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। उक्त आराजी के पश्चिम में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 635/279 रकबा 1.78 हैक्टेयर आई हुई हैं। इन दोनो आराजी के सीमाज्ञान को लेकर विवाद है अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण की उक्त आरजी खसरा नम्बर 280 रकबा 1.36 हैक्टेयर के सीमा का विवाद कायम रखना चाहता है तथा इस विवाद के चलते प्रार्थीगण ने उनकी आराजी खसरा नम्बर 280 व अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा नम्बर 635/279 के माठ के विवाद को खत्म करने के लिए तहसीलदारजी रानीवाडा को प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर तहसीलदार जी द्वारा आदेश क्रमांक 63 दिनांक 17.6.1919 के तहत पेमाईश करने का आदेश जारी किया। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 19.06.2019 को मोके पर जाकर हल्का पटवारी द्वारा पेमाईश की गई तथा प्रार्थीगण को सीमा की जानकारी करवाई गई मगर मौके पर सीमा चिन्ह कायम नहीं किये गये तथा सीमा चिन्ह कायम नहीं करने के कारण

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी से अब सीमा चिन्ह कायम नहीं करने दे रहा है। मौके पर मौका फर्द बनाते समय दिनांक 19.6.2019 को अप्रार्थी सं. 1 ने मौके पर नहीं आकर मौका फर्द का विरोध किया था। मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह कायम नहीं करने की स्थिति में मौके पर विवाद की स्थिति कायम है। इसलिए विवाद को खत्म करने के लिए स्थाई सीमा चिन्ह कायम किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 1 ने मौके पर माठ को विवादग्रस्त बना दिया है तथा माठ की सीमा का स्पष्ट पता नहीं चल रहा है। उक्त आराजी की सीमा को लेकर भारी विवाद है। अप्रार्थी संख्या 1 माठ का विवाद बनाकर हमारी आराजी पर कब्जा करना चाहता है। इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 के बीच उक्त आराजी में सीमाज्ञान को लेकर भारी विवाद होने से उक्त आराजीयान का सीमाज्ञान करवाकर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करवा कर उस स्थाई तारबन्दी या स्थाई पत्थर गडडी करवाया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है।

अप्रार्थी सं. 1 ने नोटिस लेने से इंकार करने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब में व्यक्त किया कि सरहद मौजा कोडका में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 280 रकबा 1.36 हैक्टेयर राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज है। ख. न. 280 के खातेदार केवाराम वगेराह व खसरा नम्बर 835/279 के खातेदार वीरमाराम पुत्र करना रेबारी के बीच नक्शा लटठा ट्रेस मे माठ पुरानी द्वितीय सेटलमेन्ट की मोजुद है परन्तु अप्रार्थी वीरमाराम व उसके भाई के खसरा नम्बर मूल 279 की तरमीम होने पर नया खसरा नम्बर 635/279 वीरमाराम के हिस्से मे भुमि आयी है। तब से विरमाराम व प्रार्थी केवाराम वगैरह ने अपने खेत के बीच की मोजुद माठ को हटाकर लाखडी करने हेतु कार्य किया तब उनके बीच माढ़ को लेकर विवाद उत्पन्न होने पर उक्त पत्थर गढ़ी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। दोनो खसरा नम्बर की माढ़ पर वर्तमान में कोई स्थायी माढ़ के निशान आदि नहीं है। तथा पूर्व में पेमाईश के आदेश जारी किये जाकर दिनांक 19.6.2019 को पेमाईश की गई लेकिन अप्रार्थी मोके पर नहीं जाकर पेमाईश नहीं करने का विरोध किया था।

पत्रावली में पेश किये गये प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार रानीवाडा के जवाब के कथनो एंव बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.6.2019 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाया गया। तथा तहसीलदार रानीवाडा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि खसरा नम्बरान की माठ पर वर्तमान में कोई स्थायी माठ के निशान आदि नहीं है। तथा खसरा नम्बर 280 खातेदार व खसरा नम्बर 835/279 के खातेदारी वीरमाराम पुत्र करना रेबारी के बीच नक्शा लटठा ट्रेस में माठ पुरानी द्वितीय सेटलमेन्ट की मोजुद है। परन्त अप्रार्थी वीरमाराम व उसके भाई के खसरा नम्बर मुल 279 की तरमीम होने पर नया खसरा नम्बर 635/279 वीरमाराम के हिस्से में भुमि आयी है तब से वीरमाराम व प्रार्थीगण केवाराम वगैरह ने अपने खेत के बीच की मोजुद माठ को हटाकर लाखडी करने हेतु कार्य किया तब उनके बीच माठ को लेकर विवाद उत्पन्न होने पर उक्त पत्थर गढ़ी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

सरकरी पेरोकार तहसीलदार रानीवाडा ने बहस में बताया कि दोनों खातेदारो के मध्य स्थायी सीमा चिन्ह नहीं होने से पत्थर गडडी के आदेश दिये जाये तो कोई आपति नहीं है। अतः उपरोक्त खसरा नम्बर 280 व 635/279 के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

Scanned by CamScanner

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा कोडका के खसरा नम्बर 280 रकबा 1.36 हैक्टेयर के आराजी की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2019.11.25 13:23:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: